

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 80/2024 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये श्री राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री लल्लू लाल सैनी, निवासी 1 डी 147, ललित कालोनी, शास्त्री नगर,
जयपुर मालिक श्री राम पवित्र भोजनालय, शॉप नम्बर 2, कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर,
जयपुर।

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के
तहत जब्त शुदा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल मय 22.200
किलोग्राम एल.पी.जी. को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:-

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12.06.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 25.09.2024 को श्री राम पवित्र भोजनालय, शॉप नम्बर 2, कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. क्षमता 14.2 किलोग्राम गैस भट्टी से जुड़ा पाया गया एवं रेस्टोरेन्ट में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. के ओर रखे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जिसको जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 26.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि श्री राम पवित्र भोजनालय, शॉप नम्बर 2, कल्पतरू शॉपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर, जयपुर पर श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री लल्लू लाल सैनी की उपस्थिति में जांच की गई। मौके पर

जिला कलक्टर
जयपुर



01 बीपीसीएल कम्पनी का घरेलू गैस सिलेण्डर गैस भण्डी से जुड़ा पाया गया एवं 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल के और रखे पाये गये। अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। मौके पर जयपुर गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अजय यादव पुत्र श्री सूर्यनारायण को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर खाली पाया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किया गया और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जल्दशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार रसद को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जल्दी दिनांक 26.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. प्रार्थी द्वारा जल्द किये गये सिलेण्डर के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर पाया गया। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है इसके बावजूद अप्रार्थी फर्म द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जल्द सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जल्द 01 बीपीसीएल कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 30.09.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय की प्रति हस्त कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शमर हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(**डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी**)
जिला कलेक्टर
जयपुर